न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :– 10/2025

मंयक पुत्र स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई उम्र 15 वर्ष निवासीयान गांव रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) नाबालिंग जरिये कुरंदरती वली माता श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी गांव रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

— अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली सुथारान पंचायत समिति, श्रीगंगानगर (राजस्थान) जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
2. श्रीमती ओमी देवी पत्नी स्व. श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 06, रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. इन्द्राज भादू पुत्र स्वर्गीय श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 06, रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल निवास पता :– इन्द्राज भादू पुत्र स्व. श्री हेतराम जाति बिश्नोई गौतम मार्ग, ब्लॉक डी, निर्माण नगर, जयपुर (राजस्थान) –

–रेस्पोडेंटस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — अपीलार्थी

रेस्पोडेंट सं. 1, 2 व 3 सम्मन की विधिवत तामील होने के पश्चात् भी हाजिर नहीं है।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15.07.2025

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का स्थायी पता अपील के शीर्षक में दर्ज है अपीलार्थी नाबालिंग है इसलिए अपील जरिये कुदरतीवली माता की ओर से प्रस्तुत की जा रही है। माता विजय लक्ष्मी का इन्टरेस्ट अपीलार्थी के विरूद्ध नहीं है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 124/85 के मुरब्बा नम्बर 55 व 69 की कुल 3.846 है. नंहरी/बारानी कृषि भूमि में [illegible]र्थी के दादाजी हेतराम पुत्र लाधुराम ने अपने नाम दर्ज 513/1282 हिस्सा [illegible] व चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या 125/87 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 6.200 है नहरी भूमि [illegible] इस प्रकार दोनो खातो की 1.539 है. + 6.200 है. कुल 7.739 है. कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। हेतराम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि का उपहार पत्र अपने पौत्र अपीलार्थी मंयक पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में दिनांक 20/04/2023 को तहरीर करवाकर इसका पंजीयन श्रीमान उप पंजीयक, हिन्दुमलकोट के कार्यालय में दिनांक 21/04/2023 को विधिवत् रूप से करवाया तथा इसी रोज उक्त कृषि भूमि का कब्जा मय पानी की बारी सहित अपीलार्थी को सपुर्द किया गया तब से अपीलार्थी उक्त कृषि भूमि का काबिज काश्त चला आ रहा है तथा मौका पर फसल सावणी काश्त की हुई है। इसी दौरान अपीलार्थी के दादाजी हेतराम की दिनांक 14/09/2023 को मृत्यु हो गई इसके उपरान्त अपीलार्थी के पिताजी रामचन्द्र पुत्र हेतराम की दिनांक 12/10/2023 को मृत्यु हो गई। अपीलार्थी नाबालिंग होने के कारण तथा अपने परिवार के दो सदस्यों की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का सारा दायित्व अपीलार्थी पर आ गया तथा अपीलार्थी दुःख की घड़ी में अपने उपहार पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं करवा सका। इसी दौरान रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से मिलकर एकतरफा तौर पर हेतराम के नाम की उपहार पत्र में वर्णित कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा लिया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधारो पर अपील पेश करता है :–

ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामान्तरण एकतरफा तौर पर अपीलार्थी को बिना सुने पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के खिलाफ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरण संख्या 654 एवं उपहार पत्र की प्रतिलिपी संलग्न अपील है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरण में नामान्तरण मृतक के पक्ष में दर्ज किया गया है जबकि रामचन्द्र की दिनांक 12/10 /2023 को मृत्यू हो चुकी थी जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20/12/2023 को ही सदस्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को रामचन्द्र की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद एकतरफा मृतक व्यक्ति के नाम से नामान्तरण जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न अपील है। चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 124/85 के मुरब्बा नम्बर 55 व 69 की कुल 3.846 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि में से अपीलार्थी के दादाजी हेतराम पुत्र लाधुराम ने अपने नाम दर्ज 513/1282 हिस्सा यानि 1.539 है व इसी चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या 125/87 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 6.200 है. नहरी कृषि भूमि इस प्रकार दोनो खाते की 1.539 है. + 6.200 है. 7.739 है. कृषि भूमि का अपीलार्थी के दादा हेतराम पुत्र लाधुराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 20/04/2023 को रोबरू गवाहान उपहार पत्र अपीलार्थी तहरीर करवाया तथा इसका श्रीमान उपपंजीयक, हिन्दुमलकोट के समक्ष दिनांक 21/04/2023 को विधिवत रूप से पंजीयन करवाया जो श्रीमान उप पंजीयक, हिन्दुमलकोट के कार्यालय पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 167 में पृष्ठ संख्या 86 क्रम संख्या 202303408100267 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 407 के पृष्ठ संख्या 259 से 264 पर चस्पा किया गया तथा अपीलार्थी के दादाजी ने उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी अपीलार्थी को सपुर्द कर दिया था, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को प्रारम्भ से ही थी। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन नामान्तरण के समय भूमि का टाईटल हेतराम के पास नहीं था भूमि का मालिक अपीलार्थी हो चुका था इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामान्तरण खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण करते समय मौका पर कब्जा की कोई जांच नहीं की गई तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 133 से 143 की पालना नहीं की गई है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी को रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि जरिये उपहार पत्र प्राप्त हुई है जिसके सत्य होने की उपधारणा है इस दस्तावेज को आज तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है ऐसी स्थिती में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामान्तरण निरस्त कर उपहार पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण एकतरफा तौर पर अपीलार्थी को बिना सुने दर्ज किया गया है जिससे अपीलार्थी बुरी तरह से व्यथित है इसलिए अपीलार्थी व्यथित पक्ष होने के कारण अपील दायर करने का अधिकार रखता है जिसकी अनुमति के लिए अलग से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। चक 4 एच बड़ा पटवार हल्का रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त

ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Navin Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:00 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 124/85 के मुरब्बा नम्बर 55 व 69 की कुल 3.846 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि में से अपीलार्थी के दादाजी हेतराम पुत्र लाधुराम ने अपने नाम दर्ज 513/1282 हिस्सा यानि 1.539 है व इसी चक 4 एच बड़ा के खाता संख्या 125/87 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 6.200 है. नहरी कृषि भूमि इस प्रकार दोनो खातो की 1.539 है.+6.200 है. 7.739 है. कृषि भूमि का अपीलार्थी के दादा हेतराम पुत्र लाधुराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 20/04/2023 को रोबरू गवाहान उपहार पत्र अपीलार्थी के पक्ष में तहरीर करवाया तथा इसका श्रीमान उपपंजीयक, हिन्दुमलकोट के समक्ष दिनांक 21/04/2023 को विधिवत रूप से पंजीयन करवाया जो श्रीमान उप पंजीयक, हिन्दुमलकोट के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 167 में पृष्ठ संख्या 86 क्रम संख्या 202303408100267 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 407 के पृष्ठ संख्या 259 से 264 पर चस्पा किया गया तथा अपीलार्थी के दादाजी ने उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी अपीलार्थी को सपुर्द कर दिया था, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को प्रारम्भ से ही थी। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन नामान्तरण के समय भूमि का टाईटल हेतराम के पास नहीं था। भूमि का मालिक अपीलार्थी हो चुका था इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामान्तरण खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण करते समय मौका पर कब्जा की कोई जांच नहीं की गई तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 133 से 143 की पालना नहीं की गई है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी को रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि जरिये उपहार पत्र प्राप्त हुई है जिसके सत्य होने की उपधारणा है इस दस्तावेज को आज तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है ऐसी स्थिती में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामान्तरण निरस्त कर उपहार पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण एकतरफा तौर पर अपीलार्थी को बिना सुने दर्ज किया गया है जिससे अपीलार्थी बुरी तरह से व्यथित है इसलिए अपीलार्थी व्यथित पक्ष होने के कारण अपील दायर करने का अधिकार रखता है जिसकी अनुमति के लिए अलग से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन रिकार्ड तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 2 व 3 को जारी सम्मन पर विधिवत तामील [illegible] रेस्पोडेन्टस के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि जरिये उपहार पत्र दिनांक 20.04.2023 पंजीयन दिनांक 21.04.2023 से प्राप्त हुई है जिसके सत्य होने की उपधारणा है इस दस्तावेज को आज तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है ऐसी स्थिती में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामान्तरण निरस्त कर उपहार पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादास्पद इंतकाल संख्या 654 दिनांकित 26.06.2024 सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडांवाली द्वारा विरास्तन इंतकाल भूमि के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड उपहार पत्र के पंजीकृत होने के बावजूद दर्ज किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 75 एल आर.एक्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 654 निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रजिस्टर्ड उपहार पत्र की सम्यक जांच कर कोई वाद विवाद(स्थगन) विपरीत स्थिति ना हो तो पुनः नामान्तकरण दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Navdeep Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner